

न्यायालय उ० सिविल जज(वरीय कोटि)-II, कहलगॉव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी:- मो० तसनीम कौसर

दीवानी वाद संख्या-310 / 2010

ओम प्रकाश सिन्हा.....(वादी)

बनाम

गंगा मंडल व अन्य.....(प्रतिवादीगण)

आदेश

22.07.2025:-

वादी की पैरवी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा का प्रतिस्थापन आवेदन U/O- 22 Rule- 04 दिनांक 26.05.2025 को प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 04 कन्हैया मंडल की मृत्यु दिनांक 05.04.2025 को हो गयी है जो अपने पीछे पत्नी नीलम देवी, एक पुत्री मनीषा कुमारी एवं दो पुत्र रविकान्त और दीपक कुमार को छोड़ कर गये हैं। वाद मे उचित न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिवादी सं० 04 के उत्तराधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः न्यायहित मे प्रतिवादी सं० 04 के नाम को वादपत्र से विलोपित कर उनके कानूनन वारिसानो के नामो को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय। वादी के आवेदन पर प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नही है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है साथ ही समय सीमा के अंदर है। वाद की समुचित विनिश्चयन एवं वाद के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 26.05.2025 को **स्वीकृत** किया जाता है।

कार्यालय ससमय आवेदनानुसार मृतक प्रतिवादी सं० 04 का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित करे। वाद दिनांक 04.09.2025 वास्ते वादी प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसानों की उपस्थिति हेतु नोटिस की अपेक्षिताएँ दोनो माध्यम से दाखिल करें।

उ० सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगॉव(भागलपुर)